न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 356/2024
अनवान : –

1. सुनिल कुमार पुत्र रणवीर सिंह जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. लादुराम पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. रणवीर पुत्र लादुराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. कृष्ण कुमार पुत्र लादुराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. माया देवी पुत्री लादुराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. भगवन्ती पुत्री लादुराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. कोमल पुत्री कृष्ण कुमार जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. सागर नाबालिग पुत्र कृष्ण कुमार जरिये कुदरती बली माता सुमन पत्नी कृष्ण कुमार जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. सुशीला पुत्री रणवीर जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. रचना पुत्री रणवीर जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. संजना पुत्री रणवीर जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 20/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 163/172 के खसरा नं. 539/16 की कुल दादादी 3.9710 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वादी का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुका है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 के 8 ... अलग से भूमि दर्ज है तथा प्रतिवादी 3 जो कि प्रतिवादी संख्या 7 का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुका है क्योंकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:17:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 3 के 8 एस.बी.एन.तहसील टिब्बी में अलग से भूमि दर्ज है तथा प्रतिवादीया संख्या 4 व 5 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भतीजो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है एवं प्रतिवादीया संख्या 6 उपरोक्त भूमि कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है एवं प्रतिवादीया संख्या 8 ता 10 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 एवं 8 ता 10 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 163/172 के खसरा नं. 539/16 की कुल दादादी 3.9710 है0 भूमि में से 3.036 है0 भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 7 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 10 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 व 8 ता 10 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण [illegible] वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:17:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 163/172 के खसरा नं. 539/16 की कुल दादादी 3.9710 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परविार की साझा आय से अर्जित पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया संख्या 2 ता 6 व 8 ता 10 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 163/172 के खसरा नं. 539/16 की कुल दादादी 3.9710 है0 भूमि भूमि में से 3.036 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 7 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:17:22 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 356 / 2024
अनवान : –

1. सुनिल कुमार पुत्र रणवीर सिंह जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. लादुराम पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. रणवीर पुत्र लादुराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. कृष्ण कुमार पुत्र लादुराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. माया देवी पुत्री लादुराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. भगवन्ती पुत्री लादुराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. कोमल पुत्री कृष्ण कुमार जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. सागर नाबालिग पुत्र कृष्ण कुमार जरिये कुदरती बली माता सुमन पत्नी कृष्ण कुमार जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. सुशीला पुत्री रणवीर जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. रचना पुत्री रणवीर जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. संजना पुत्री रणवीर जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 356 सन 2024 निर्णय दिनांक 20/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 163 / 172 के खसरा नं. 539 / 16 की कुल दादादी 3.9710 है0 भूमि भूमि में से 3.036 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 7 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:17:22 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर